न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 52/2020

शीर्षक

1. मातादीन पुत्र गोपीराम
2. प्रकाश पुत्र गोपीराम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

वादीगण

बनाम

1. रामानन्द पुत्र कानाराम
2. कैलाश पुत्र गोपीराम (नाम हजफ) आदेश दिनांक 02.11.2022

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)
4. विजय पुत्र स्व0 सीताराम
5. सुनीता पुत्री स्व0 सीताराम
6. बबीता पुत्री स्व0 सीताराम
7. केसरी देवी पत्नी स्व0 सीताराम
8. नितिन पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
9. छाया पुत्री स्व0 श्री प्रभूदयाल
10. किरण पुत्री स्व0 श्री प्रभूदयाल
11. वर्षा पुत्री स्व0 श्री प्रभूदयाल
12. चिकी पुत्री स्व0 श्री प्रभूदयाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.) हाल निवासी हनुमान नगर सोनीपत जिला सोनीपत (हरियाणा)

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
14. उपपंजीयक उपंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
15. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 05/04/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0न0 1217/0.52, 1243/0.58, 1244/0.65, 4244/2401/0.07, 1294/0.62 कुल किता 5 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

वाके ग्राम रामपुरा तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी सं0 1 का 1/12, वादी सं0 02 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 02 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 लगा0 07 के पिता व पति सीताराम पुत्र काना का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 08 लगा0 12 के पिता प्रभूदयाल पुत्र काना का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सह खातेदार सीताराम पुत्र काना फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी सं0 04 लगायत 07 वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिन्होने मृतक सीताराम की हक हिस्से की भूमि व अन्य चल अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है तथा आराजी के सहखातेदार प्रभूदयाल पुत्र काना की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके प्रतिवादी सं0 08 लगायत 12 वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिन्होने मृतक प्रभूदयाल के हक हिस्से की भूमि एवं चल अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है। नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 133 संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी का आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01, 02 तथा प्रतिवादी सं0 04 लगायत 12 के पूर्वज सीताराम, प्रभूदयाल आदि के मध्य काफी वर्ष पूर्व हो चुका है उक्त बंटवारे में वादीगण के हिस्से में आराजी ख. न. 1244/0.65 है में से उत्तरी भाग की 0.41 है भूमि आयी हुई है जिस पर वादीगण बाहमी बंटवारे के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और वादीगण ने बाहमी बंटवारे में आयी भूमि को समतल करने व उसकी उपज बढाने में काफी रूपये खर्च किये है शेष भूमि प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारे में आयी हुई है। प्रतिवादी सं0 01, 02 घरेलू बातो को लेकर कुछ अर्से से वादीगण से नाराज है और उन्होने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है। प्रतिवादी सं0 01, व 03 ने वादीगण के बिहमी बंटवारे में आई आराजी ख. न. 1244/0.65 है में से उत्तरी भाग की 0.41 है भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने लग गये है दिनांक 27.12.2020 को वादीगण बाहमी बंटवारे में आयी भूमि में कृर्षि कार्य कर रहे थे तब प्रतिवादी सं0 01, 03 एक राय होकर आये तथा कृषि कार्य में बाधा कारित करने लगे तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण को टोका तो वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये तथा आपसी समझाईश से उक्त वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानिया धमकी देकर गये कि हम उक्त भूमि का बंटवारा नही होने देगे ओर ना ही पूर्व में हुये मौखिक बंटवारे को नही मानेगें तथा कानूनी बंटवारा हेतु साफ तौर से इंकारी हो गये। प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये । वादीगण को बेदखल कर कब्जा स्वयं कर लिया तो वादी को नाकबिले तलाफी होगी तथा वादी के विधिक अधिकारो पर कुठाराधात होगा ओर अकथनीय व अपूर्तनीय क्षति का सामना करना पडेगा।

अन्त में निवेदन किया गया कि हाल आराजी ख0न0 1217/0.52, 1243/0.58, 1244/0.65, 4244/2401/0.07, 1294/0.62 कुल किता 5 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि वाके ग्राम रामपुरा तह. शाहपुरा जयपुर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

एण्ड बाउण्डस एवं सरस नरस के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आद को सदैव के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे के कि वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रतिवादी सं0 1 स्वयं उपस्थित आये। दिनांक 13.01.2021 को प्रति0स0–04 लगायत 12 की रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल हो चुकी है जो बाद तामिल व सूचना के अनुपस्थिति । प्रतिवादी सं0 03 की ओर से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 07.10.2022 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश की। दिनांक 02.11.2022 को वकील वादी को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी को सुनकर स्वीकार किया गया। मद शीर्षक में प्रतिवादी सं0 02 का नाम हजफ कर नोट लाल स्याही से अंकित किया गया। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निवेदन किया । प्रकरण में दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/1218 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये । वकील वादी ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिकी किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 1217/0.52, 1243/0.58, 1244/0.65, 4244/2401/0.07, 1294/0.62 कुल किता 5 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि वाकै ग्राम रामपुरा तह. शाहपुरा जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. प्रकाश पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1244/2 रकबा 0.2034 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2. मातादीन पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1244/1 रकबा 0.2033 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामदेव जाति जाट सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1217/2 रकबा 0.26 है0, 1243/2 रकबा 0.29 है0, 1244/3 रकबा 0.2433 है0,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

1244/2401/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8133 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

4. रामानन्द पुत्र काना हिस्सा 1/3, विजय कुमार पुत्र सीताराम हि0 1/3, किरण, छाया, रितु, वर्षा पुत्रीयान प्रभुदयाल, सुरज पुत्र प्रभुदयाल हि0 1/3 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1217/1 रकबा 0.26 है0, 1243/1 रकबा 0.29 है0, 1294 रकबा 0.62 है0, 1244/2401/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 62 / 2020

शीर्षक

1. मातादीन पुत्र गोपीराम
2. प्रकाश पुत्र गोपीराम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

वादीगण

बनाम

1. रामानन्द पुत्र कानाराम
2. कैलाश पुत्र गोपीराम (नाम हजफ) आदेश दिनांक 02.11.2022

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)
4. विजय पुत्र स्व0 सीताराम
5. सुनीता पुत्री स्व0 सीताराम
6. बबीता पुत्री स्व0 सीताराम
7. केसरी देवी पत्नी स्व0 सीताराम
8. नितिन पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल
9. छाया पुत्री स्व0 श्री प्रभुदयाल
10. किरण पुत्री स्व0 श्री प्रभुदयाल
11. वर्षा पुत्री स्व0 श्री प्रभुदयाल
12. चिकी पुत्री स्व0 श्री प्रभुदयाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

हाल निवासी हनुमान नगर सोनीपत जिला सोनीपत (हरियाणा)

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
14. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
15. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 05/04/24

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 1217/0.52, 1243/0.58, 1244/0.65, 4244/2401/0.07, 1294/0.62 कुल किता 5 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि वाकै ग्राम रामपुरा तह. शाहपुरा जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. प्रकाश पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1244/2 रकबा 0.2034 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2. मातादीन पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1244/1 रकबा 0.2033 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामदेव जाति जाट सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1217/2 रकबा 0.26 है0, 1243/2 रकबा 0.29 है0, 1244/3 रकबा 0.2433 है0, 1244/2401/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8133 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

4. रामानन्द पुत्र काना हिस्सा 1/3, विजय कुमार पुत्र सीताराम हि0 1/3, किरण, छाया, रितु, वर्षा पुत्रीयान प्रभुदयाल, सुरज पुत्र प्रभुदयाल हि0 1/3 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार आ0 ख0 न0 1217/1 रकबा 0.26 है0, 1243/1 रकबा 0.29 है0, 1294 रकबा 0.62 है0, 1244/2401/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। ।

निर्णय आज तारीख 05/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			